अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

सं. 2/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 711 (अ).—केंद्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, माल की राज्य के भीतर पूर्तियों पर, जिनका वर्णन इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट, यथास्थिति, टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आता है, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण संघ राज्यक्षेत्र कर से छूट प्रदान करती है ।

अनुसूची

क्रम सं.	अध्याय शीर्ष/उपशीर्ष टैरिफ मद	माल का विवरण
1.	0101	जीवित, गधे, खच्चर और हिन्नी
2.	0102	जीवित गोकुलीय प्राणी
3.	0103	जीवित सुअर
4.	0104	जीवित भेड़ और बकरे
5.	0105	जीवित कुक्कुट अर्थात् गैलस घरेलू जाति के मुर्गे, बतख़, हंस, टर्की और गिनि मुर्गे
6.	0106	अन्य जीवित प्राणी जैसे स्तनपायी, पक्षी, कीट
7.	0201	गोकुलीय प्राणी का मांस, ताज़ा और द्रुतशीतित
8.	0202	गोकुलीय प्राणी का मांस, हिमशीतित [हिमशीतित से भिन्न और जो इकाई आधान में रखा हुआ है]
9.	0203	सुअर का मांस, ताज़ा, द्रुतशीतित या हिमशीतित [हिमशीतित से भिन्न और जो इकाई आधान में रखा हुआ है]
10.	0204	भेड़ या बकरे का मांस, ताजा, द्रुतशीतित या हिमशीतित [हिमशीतित से भिन्न और जो इकाई आधान में रखा हुआ है]
11.	0205	अश्व, गधे, खच्चर या हिन्नी का मांस ताजा, द्रुतशीतित या हिमशीतित [हिमशीतित से भिन्न और जो इकाई आधान में रखा हुआ है]
12.	0206	गोकुलीय प्राणी, सुअर, भेड़, बकरे, अश्व, गधे, खच्चर या हिन्नी के खाद्य अवशिष्ट, ताजा, द्रुतशीतित या हिमशीतित [हिमशीतित से भिन्न और जो इकाई आधान में रखा हुआ है]
13.	0207	शीर्ष अवशिष्ट खाद्य और मांस का टकुक्कु के 0105, ताजा,द्रु तशीतित या हिमशीतित [हिमशीतित से भिन्न और जो इकाई आधान में रखा हुआ है]
14.	0208	अन्य मांस और खाद्य मांस अवशिष्ट, ताजा, द्रुतशीतित या हिमशीतित [हिमशीतित से भिन्न और जो इकाई आधान में रखा हुआ है]
15.	0209	चर्बी रहित मांस विहीन सुअर वसा और कुक्कुट वसा, अपरिष्कृत या निष्कर्शित, ताजा, द्रुतशीतित, हिमशीतित [हिमशीतित से भिन्न और जो इकाई आधान में रखा हुआ है]
16.	0209	चर्बी रहित मांस विहीन सुअर वसा और कुक्कुट वसा, अपरिष्कृत या निष्कर्शित, लवणित, लवण जल में रखा शुष्कित या धूमित [हिमशीतित से भिन्न और जो इकाई आधान में रखा

		हुआ है]
17.	0210	मांस और खाद्य मांस अवशिष्ट, लवणित, लवण, जल में रखा, शुष्कित या धूमित, मांस या मांस अवशिष्ट, से भिन्न इकाई आधान में रखे जाएंगे
18.	3	मछलीबीज, झींगा/झींगी बीज जो पृसंस्कृत, संसाधित या हिमशीतित अवस्था में हैं या नहीं [अध्याय 3 के अंतर्गत आने वाले एसे मालों से भिन्न, जिन पर 2.5 प्रतिशत कर लागू हैं]
19.	0301	जीवित मछली
20.	0302	मछली, ताज़ी या द्रुतशीतित, जिसके अंतर्गत शीर्ष 0304 के मछली कतले और अन्य मछली मांस नहीं है
21.	0304	मछली के कतले और अन्य मछली का मांस (चाहे टुकड़े किया गया या नहीं), ताजी या द्रुतशीतित
22.	0306	क्रेस्टेशिया, चाहे कवच युक्त है या नहीं, जीवित, ताजी या द्रुतशीतित; क्रेस्टेशिया कवच युक्त, जो भापन या जल में उबालकर पकाई गई है, जीवित, ताज़ी या द्रुतशीतित
23.	0307	मोलस्क, चाहे कवच युक्त है या नहीं जीवित, ताजी, द्रुतशीतित; क्रेस्टेशिया और मोलस्क से भिन्न जलीय अकशेरुकी जीवित, ताजे, द्रुतशीतित
24.	0308	क्रेस्टेशिया और मोलस्क से भिन्न जलीय अकशेरुकी जीवित, ताजे, द्रुतशीतित
25.	0401	अल्ट्रा उच्च तापमान (यूएचटी) दूध को छोड़कर ताज़ा दूधऔर पास्तुरीकृत दूध, जिसके अंतर्गत पृथक दूध, दूध और क्रीम हैं, जो सांद्रित नहीं है या जिसमें मिलाई गई चीनी या अन्य मधुरण द्रव्य नहीं हैं ।
26.	0403	दही;लस्सी छाछ
27.	0406	छैना या पनीर, उनसे भिन्न, जो इकाई आधान में रखे गए हैं और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम हो
28.	0407	पक्षियों के अंडे कवच युक्त, ताजे, परिरक्षित या पकाए हुए
29.	0409	इकाई आधान में रखे गए से भिन्न, प्राकृतिक मधु जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम हो
30.	0501	मानव केश, अकर्मित, चाहे धुले या अभिमार्जित हैं या नहीं ; मानव केश के अपशिष्ट
31.	0506	सभी माल अर्थात् हड्डियां और सींग क्रोड जो अकर्मित, निर्वसीकृत, केवल निर्मित) आकार में आकर्तित) अम्लोपचारित या अजिलेटिवीकृत हैं, इन उत्पादों का चूर्ण और अपशिष्ट
32.	0507 90	सभी माल अर्थात् खुर अवचूर्ण;सींग अवचूर्ण; खुर, नखर, नख, और चोंच ; मृगशश्रृंग; आदि
33.	0511	शुक्र जिसके अंतर्गत हिमशीतित शुक्र भी है
34.	6	जीवित वृक्ष और अन्य पौधे, कंद, जड़ें और वैसी ही चीज़ें ; कर्तित पुष्प और अलंकृत पर्ण समूह
35.	0701	आलू ताजे या द्रुतशीतित
36.	0702	टमाटर ताजे या द्रुतशीतित
37.	0703	प्याज, शैलट, लहसुन, लीक और अन्य लशुनी वनस्पतियां ; ताजी या द्रुतशीतित
38.	0704	बंदगोभी, फूलगोभी, कोहल्रबी, केल और उसी प्रकार के खाद्य ब्रेसिका, ताजे या द्रुतशीतित
39.	0705	लेट्यूस (लैक्टूका सैटाइवा) और कासनी (साइकोरियम सभी जातियां), ताजे या द्रुतशीतित
40.	0706	गाजर, शलजम, सलाद चुकंदर, सेलसिफी, सेलेरिऐक मूली और वैसी ही खाद्य जड़ें ताजी या द्रुतशीतित

41.	0707	खीरादि और घेरकिन, ताजे या द्रुतशीतित
42.	0708	कवचयुक्त या कवचरहित फलीदार वनस्पतियां, ताजी या द्रुतशीतित
43.	0709	अन्य वनस्पतियां, ताजी या द्रुतशीतित
44.	0712	शुष्क वनस्पतियां जो साबुत, कर्तित, कतरी गई या चूर्णित हैं, किन्तु और निर्मित नहीं हैं
45.	0713	शुष्कित फलीदार वनस्पति, कवच युक्त, चाहे त्वचा रहित या विपाटित हैं अथवा नहीं
46.	0714	मेनिओक, अरारुट, सेलद, जेरूसलम पाथीचक, शकरकंद और वैसी ही जड़े और कंद जिनमें स्टार्च या इनूलिन की मात्रा अधिक है ताजे या द्रुतशीतित ; साबुदाने कापिथ
47.	0801	नारियल, ताजे या शुष्कित चाहे कवचयुक्त या छिलकारहित हैं अथवा नहीं
48.	0801	ब्राजील नटनहीं या हैं छिलकारहित या कवचयुक्त चाहे ताजे ,
49.	0802	अन्य दृढ़ फल ताजे, जैसे कि बादाम, हेज़लनट या फिलबर्ट, कोरिअस सभी प्रजातियां), अखरोट, चेस्टनट (कास्टानिया सभी जातियां), एरिका नटस् ताजे चाहे कवचयुक्त या छिलकारहित हैं अथवा नहीं
50.	0803	केले, जिसके अंतर्गत कदली भी है, ताजे या शुष्कित
51.	0804	छुहारा, अंजीर, अनानास, एवोकेडोज, अमरूद, आम और मेंगोस्टीम, ताजे
52.	0805	निम्बुकुल फल, जैसे कि नारंगियां, मैंडारिन, (जिसे अंतर्गतटेन्जेरीन और सटसूमसयी हैं) ; क्लेमेन्टाइन, विलकिंग और अन्य वैसे हि निम्बुकुल हाईब्रिड, अंगूर फल जिसके अंतर्गत पोमलोस भी है, नींबू (निम्बुकुल नींबू, निम्बुकुल लिमोलम) और लाइम (निम्बुकुलआरन्टीफोलिया, निम्बुकुल लैटिफोलिया), ताजे
53.	0806	अंगूर, ताजे
54.	0807	तरबूजादि (जिसके अंतर्गत तरबूज है) और पपीते, ताजे
55.	0808	सेब, नाशपती और क्विन्स, ताजे
56.	0809	खुमानी, चैरी, आड़ु (जिसके अंतर्गत शफतालू हैं), आलू बुखारा और स्लो, ताजे
57.	0810	अन्य फल जैस की स्ट्राबेरी, रसभरी, ब्लैकबेरी, शहतूत और लोगनबेरी, काली सफेद या लाल किशमिश तथा गूज़बेरी, करोंदा, बिलबेरी, और वैक्सीनियम वंश के अन्य फल, कीवी फल, डयूरियन्स, पर्सिमोन्स, अनार, इमली, सपोटा, (चीकू), शरीफा (अटा), बोर, लीची, ताजे
58.	0814	निम्बुकुल फल या तरबूजादि (जिसके अंतर्गत तरबूज भी हैं) के छिलके, ताजे
59.	9	बीज किस्म के सभी माल
60.	0901	कॉफी बीन्स, अभर्जित
61.	0902	चाय की अप्रसंस्करित हरी पत्तियां
62.	0909	सौंफ, बेडियन, बड़ी सौंफ, धनिया, सफेद जीरा या काला जीरा के बीज, हपुषा बेरी (की बीज क्वालिटी)
63.	0910 11 10	ताजी अदरक, प्रसंस्कृत रूप से भिन्न्
64.	0910 30 10	ताजी हल्दी, प्रसंस्कृत रूप से भिन्न
65.	1001	गेहूं और मेसलीन [उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिनका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]
66.	1002	राई [उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड

		नाम है]
67.	1003	जौ [उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]
68.	1004	जई [उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]
69.	1005	मक्का (कार्न) [उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]
70.	1006	चावल [उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]
71.	1007	ज्वारादि [उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]
72.	1008	कुट्टु, मिलेट और कैनेरी बीज़ ; अन्य धान्य जैसे ज्वार, बाजरा, रागी [उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]
73.	1101	गेहूं या मेसलीन का आटा [उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]
74.	1102	गेहूं या मेसलीन के आटे से भिन्न, धान्य आटा [मक्का (कार्न), आटा राई आटा, आदि] [उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]
75.	1103	धान्य, दलिया, अवचूर्ण और गुटिका [उनसे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिनका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]
76.	1104	धान्य दाना, तुष निकाले गए
77.	1105	आलू का आटा [उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]
78.	1106	शीर्ष 0713 के शुष्कित फलीदार वनस्पतियों (दालों) का आटा [1106 10 10 के गवार अवचूर्ण और 1106 10 90 के गवार गोंद परिष्कृत से भिन्न], साबूदाने या 0714 शीर्ष की जड़ोंया कंदों या अध्याय 8 के उत्पादों अर्थात हल्दी, सिंगाड़े का आटा, आम का आटा आदि [उससे भिन्न जिसे किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]
79.	12	बीज क्वालिटी के सभी माल
80.	1201	सोयाबीन, चाहे टूटी है अथवा नहीं, बीज क्वालिटी की
81.	1202	मूंगफली, जो भर्जित अन्यथा पकाई गई नहीं है,चाहे कवच रहित या टूटी हुई अथवा नहीं, बीज क्वालिटी की
82.	1204	अलसी, चाहे टूटी हुई अथवा नहीं, बीज क्वालिटी की
83.	1205	तोरिया या कोल्जा बीज़, चाहे टूटे हैं अथवा नहीं, बीज क्वालिटी की
84.	1206	सूर्यमुखी के बीज़ चाहे टूटे हैं अथवा नहीं, बीज क्वालिटी की
85.	1207	अन्य तिलहन और तेलोत्पादक फल (अर्थात ताड़फल और गिरी, बिनौले, एरंड के बीज, तिल के बीज, सरसों के बीज, कुसंभम (करथोमस टिंकटोरियस) बीज, खसखस बीज,

		एजाम्स, आमगुठली, नाइजर बीज, कोकम) चाहे टूटे हों अथवा नहीं, बीज क्वालिटी की
86.	1209	बीज, फल और किसी प्रकार के बीजाणू,जो बोने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं
87.	1210	हाप कोन, ताजे
88.	1211	उस प्रकार के पौधे और पौधों के भाग (जिसके अंतर्गत बीज और फल भी है), जिनका उपयोग मुख्यत: सुगंध सामग्री, फार्मेसी में या कीटनाशी, फफूंदीनाशी के लिए या वैसे ही प्रयोजनों के लिए किया जाता है, ताजे या द्रुतशीतित
89.	1212	लोकस्ट फलियां, समुद्री शैवाल और अन्य शैवाल, चुकंदर और गन्ना, ताजे या द्रुतशीतित
90.	1213	धान्य पुआल और भूसी, अनिर्मित चाहे काटी हुई, दलित, दावित या गुटिका के रूप में है अथवा नहीं
91.	1214	स्वीडन का शलजम, मंगोल्ड, चारे की जड़ें, सूखी घास, रिजका (फाअल्फा), क्लोवर, सेनफोइन, हरा चारा काले, ल्यूपिन, वैचिस और वैसा ही हरा चारा उत्पाद, चाहे वे गुटिका के रूप में हैं या नहीं
92.	1301	लाख और शल्क लाख
93.	40 90 1404	पान के पत्ते
94.	1701 या 1702	सभी प्रकार के गुड़, जिसके अंतर्गत गन्ना गुड़ (गुड़) और पालमिरा गुड़ सम्मिलित है
95.	1904	फुला हुआ चावल, जो सामान्यत मुरी के नाम से ज्ञात है, सपाटित या कुटा हुआ चावल, जो सामान्यत: च्यूड़ा के नाम से ज्ञात है सूखा चावल, जो समान्यत: खोई के नाम से ज्ञात है, सूखा धान या चीनी अथवा गुड़ से विलेपित चावल, जो सामान्यत: मुर्की के नाम से ज्ञात है,
96.	1905	पापड़,चाहे किसी नाम से ज्ञात हो, सिवाय तब के जब उसे उपभोग के लिए दिए जाते हैं
97.	1905	डबल रोटी (ब्रांडीकृतया अन्यथा) सिवाय तब के जब उसे उपभोग के लिए और पिज्जा ब्रेड के रूप में रखा जाता है।
98.	2106	मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों, गुरुद्वारों, दरगाहों जैसे धार्मिक स्थानों पर दिया जाने वाला प्रसाद
99.	2201	जल [वातित, खनिज, शुद्धीकृत, आसवित, चिकित्सीय, आयनिक, बैटरी, विखनिजीकृत और सीलबंद आधानों में विक्रय किए जाने वाले जल से भिन्न]
100.	2201	गैर अल्कोहाली टोडी, नीरा, जिसके अंतर्गत खजूर और पाम नीरा भी है
101.	90 90 2202	युनिट आधान में रखे हुए और रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम वाले मृदु नारियल जल से भिन्न
102.	2302,2304 , 2305,2306 ,2308, 2309	जलीय खाद्य जिसके अंतर्गत झींगी खाद्य और झींगा खाद्य भी है, कुक्कुट खाद्य और पशु खाद्य, सूखी घास और पुआल, दालों का अनुपूरक और भूसी, सांद्रण और योज्यक, गेहूं का चोकर और तेल निकाला गया केक
103.	00 00 2716	विद्युतीय ऊर्जा
104.	2501	नमक, सभी किस्मों के [2501]
105.	2835	भारतीय मानक विनिर्देश संख्या 5470:2002 के अनुरूप पशु खाद्य ग्रेड का डाईकैलशियम फास्फेट (डीसीपी)
106.	3002	मानव रक्त और उसके संघटक
107.	3006	सभी प्रकार के गर्भनिरोधक
108.	3101	सभी माल और आर्गेनिक खाद [उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिनका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]
109.	3304	काजल [काजल पैंसिल स्टिकों से भिन्न], कुमकुम, बिंदी, सिंदूर, आल्ता

110.	3825	नगर पालिक अपशिष्ट, मल स्लज, नैदानिक अपशिष्ट
111.	3926	प्लास्टिक चूड़ियां
112.	4014	कंडोम और गर्भनिरोधक
113.	4401	जलावन काष्ठ,ईंधन काष्ठ
114.	4402	काष्ठ चारकोल (जिसके अंतर्गत कोष या दृढफल चारकोल भी है), चाहे वह संपीडित है अथवा नहीं
115.	4802/4907	न्यायिक, न्यायेतर स्टांप पेपर, न्यायालय फीस स्टांप, जब उनका सरकारी खजाने या सरकार द्वारा प्राधिकृत विक्रताओं द्वारा विक्रय किया जाए
116.	4817/4907	डाक संबंधी मदें जैसे सरकार द्वारा विक्रीत लिफाफे, पोस्टकार्ड आदि
117.	48/4907	रुपये के नोट, जब उनका विक्रय भारतीय रिजर्व बैंक को किया जाए
118.	4907	चैक,खुली हुई या पुस्तक रूप में
119.	4901	मुद्रित पुस्तकें, जिसके अंतर्गत ब्रेल पुस्तकें भी हैं
120.	4902	समाचार पत्र,पत्रिकाए, नियत कालिक पत्रिकाएं, चाहें चित्रनिरुपित हों अथवा नहीं या चाहे उनमें विज्ञापन सामग्री हो अथवा नहीं
121.	4903	बालकोंके लिए चित्र, ड्राइंग या रंगकारी पुस्तकें
122.	4905	सभी प्रकार के मानचित्र ओर जलराशिक या वैसे ही चार्ट, जिनके अंतर्गत एटलस, दीवार मानचितत्र, स्थलाकृतिक रेखांक और ग्लोब हैं, मुद्रित
123.	5001	रेशम कीट रखना, कोया
124.	5002	अपरिष्कृत रेशम
125.	5003	रेशम अपशिष्ट
126.	5101	ऊन, जो धूनित या कंकतकृत नहीं है
127.	5102	सूक्ष्म या स्थूल प्राणी रोम, जो धूनित या कंकतकृत नहीं है
128.	5103	ऊन या सूक्ष्म या स्थूल प्राणी रोम के अपशिष्ट
129.	52	गांधी टोपी
130.	52	खादी सूत
131.	5303	जूट रेशे, कच्चे या प्रसंस्कृत किन्तु अव्युतित नहीं
132.	5305	नारियल, कयर रेशे
133.	63	भारतीय राष्ट्रीय ध्वज
134.	6703	मानव केश, प्रसाधित, तनुकृत, वरंजित या अन्यथा कर्मित
135.	40 00 6912	मिट्टी के बर्तन और मृतिका लैंप
136.	7018	कांच की चूड़ियां,(सिवाय के चूड़ियों बनी से धातु बहुमूल्य)
137.	8201	मानवीय रूप से प्रचालित या पशुओं द्वारा चालित उपकरण अर्थात् हाथ के औजार जैसे फावड़े, शावल, गैंती, कुदाल, हो, कांटे और पंजे ; कुल्हाड़ी, बांका और वैसे ही काटने के औजार, किसी भी प्रकार के कैंचा ; और कलम कैंची, दराती हंसिए, घास कर्तित्र, झाड़ समाकर्तित्र, प्रकाष्ठफान और अन्य औजार,जिनका कृषि, उद्यान कृषि, वानिकी में उपयोग किया जाता है
138.	8445	अंबर चरखा
139.	8446	हथकरघा (मशीन तनव्यू)
140.	8802 60 00	अंतरिक्ष यान (जिसके अंतर्गत उपग्रह भी हैं) और उपकक्षीय तथा अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण

		यान
141.	8803	शीर्ष सं. 8801 के माल के पुर्जे
142.	9021	श्रवण सहायिकी
143.	92	देशीहस्तनिर्मित वाद्य यंत्र
144.	9603	सरकंड़ें और फूल बहारी झाड़ू से बने मोढ़े
145.	9609	स्लेट पैंसिलें और चाक स्टिक
146.	9610 00 00	स्लेटें
147.	9803	यात्री सामान
148.	अन्य अध्याय	पूजा सामग्री, अर्थात् --: (i) रुद्राक्ष, रुद्राक्ष माला, तुलसी कंठी माला, पंचगव्य (गाय के गोबर, देशी घी दूध और दही का मिश्रण) ; (ii) पवित्रधागा (जो सामान्यत: यज्ञोपवीत के नाम से ज्ञात है) ; (iii) लकड़ी की खड़ाऊं ; (iv) पंचामृत ; (v) धार्मिक संस्थाओंद्वारा विक्रीत भभूति ; (vi) अब्रांडीकृत शहद [प्रस्तावित जी.सी.टी. शून्य] : (vii) दीये के लिए बाती ; (viii) रोली ; (ix) कलावा (रक्षासूत्र) ; (x) चंदन टीका।
149.	-	राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा लाटरी का पूर्ति, इस शर्त के अध्यधीन कि ऐसी लाटरी की पूर्ति पर, जब इसकी पूर्ति, यथास्थिति, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा, यथास्थिति, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा नियुक्त लाटरी वितरक या विक्रय अभिकर्ता को की जाती है, समुचित, यथास्थिति, केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या एकीकृत कर भुगता है ।

स्पष्टीकरण— इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए,--

(i) "इकाई आधान" पद से कोई ऐसा पैकेज, चाहे वह बड़ा हो या छोटा (उदाहरणार्थ टिन, केन बाक्स, जार, बोतल, थैला या कार्टन, ड्रम, बैरल या कनस्तर) अभिप्रेत है, जो ऐसे पूर्व अवधारित मात्रा या संख्या जो ऐसे पैकेज पर उपदर्शित की गई है, रखने के लिए डिजाइन किया गया है।

(ii) "रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम" पद से ऐसा ब्रांड नाम या व्यापार नाम अभिप्रेत है, अर्थात् नाम या चिह्न जैसे संप्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर, आविष्कृत शब्द या लेख जिसका ऐसे विनिर्दिष्ट माल तथा उस व्यक्ति की पहचान के किसी उपदर्शन सहित या रहित ऐसे नाम या चिह्न का प्रयोग करने वाले किसी व्यक्ति के बीच व्यापार के अनुक्रम में किसी संबंध को उपदर्शित करने के प्रयोजन के लिए या जिससे उसे उपदर्शित किया जा सके, ऐसे विनिर्दिष्ट माल के संबंध में उपयोग किया जाता है, और जो व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है ।

(iii) "टैरिफ मद", "उपशीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमश: टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत होगा ।

(iv) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची के अनुभाग और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण भी हैं, के निर्वचन के लिए नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 354/117/2017-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2017

No. 2/2017-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 711 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts intra-State supplies of goods, the description of which is specified in column (3) of the Schedule appended to this notification, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule, from the whole of the Union territory tax as leviable thereon under section 7 of the Union Territory Good and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017).

SCHEDULE

Sl. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
1.	0101	Live asses, mules and hinnies
2.	0102	Live bovine animals
3.	0103	Live swine
4.	0104	Live sheep and goats
5.	0105	Live poultry, that is to say, fowls of the species Gallus domesticus, ducks, geese, turkeys and guinea fowls.
6.	0106	Other live animal such as Mammals, Birds, Insects
7.	0201	Meat of bovine animals, fresh and chilled.
8.	0202	Meat of bovine animals frozen [other than frozen and put up in unit container]
9.	0203	Meat of swine, fresh, chilled or frozen [other than frozen and put up in unit container]
10.	0204	Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen [other than frozen and put up in unit container]
11.	0205	Meat of horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen [other than frozen and put up in unit container]
12.	0206	Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen [other than frozen and put up in unit container]
13.	0207	Meat and edible offal, of the poultry of heading 0105, fresh, chilled or frozen [other than frozen and put up in unit container]
14.	0208	Other meat and edible meat offal, fresh, chilled or frozen [other than frozen and put up in unit container]
15.	0209	Pig fat, free of lean meat, and poultry fat, not rendered or otherwise extracted, fresh, chilled or frozen [other than frozen and put up in unit container]

Sl. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
16.	0209	Pig fat, free of lean meat, and poultry fat, not rendered or otherwise extracted, salted, in brine, dried or smoked [other than put up in unit containers]
17.	0210	Meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked; edible flours and meals of meat or meat offal, other than put up in unit containers
18.	3	Fish seeds, prawn / shrimp seeds whether or not processed, cured or in frozen state [other than goods falling under Chapter 3 and attracting 2.5%]
19.	0301	Live fish.
20.	0302	Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304
21.	0304	Fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh or chilled.
22.	0306	Crustaceans, whether in shell or not, live, fresh or chilled; crustaceans, in shell, cooked by steaming or by boiling in water live, fresh or chilled.
23.	0307	Molluscs, whether in shell or not, live, fresh, chilled; aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, live, fresh or chilled.
24.	0308	Aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, live, fresh or chilled.
25.	0401	Fresh milk and pasteurised milk, including separated milk, milk and cream, not concentrated nor containing added sugar or other sweetening matter, excluding Ultra High Temperature (UHT) milk
26.	0403	Curd; Lassi; Butter milk
27.	0406	Chena or paneer, other than put up in unit containers and bearing a registered brand name;
28.	0407	Birds' eggs, in shell, fresh, preserved or cooked
29.	0409	Natural honey, other than put up in unit container and bearing a registered brand name
30.	0501	Human hair, unworked, whether or not washed or scoured; waste of human hair
31.	0506	All goods i.e. Bones and horn-cores, unworked, defatted, simply prepared (but not cut to shape), treated with acid or gelatinised; powder and waste of these products
32.	0507 90	All goods i.e. Hoof meal; horn meal; hooves, claws, nails and beaks; antlers; etc.
33.	0511	Semen including frozen semen
34.	6	Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage
35.	0701	Potatoes, fresh or chilled.
36.	0702	Tomatoes, fresh or chilled.
37.	0703	Onions, shallots, garlic, leeks and other alliaceous vegetables, fresh or chilled.
38.	0704	Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh or chilled.
39.	0705	Lettuce (Lactuca sativa) and chicory (Cichorium spp.), fresh or chilled.
40.	0706	Carrots, turnips, salad beetroot, salsify, celeriac, radishes and similar edible roots, fresh or chilled.
41.	0707	Cucumbers and gherkins, fresh or chilled.
42.	0708	Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled.
43.	0709	Other vegetables, fresh or chilled.
44.	0712	Dried vegetables, whole, cut, sliced, broken or in powder, but not further prepared.
45.	0713	Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split.
46.	0714	Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, fresh or chilled; sago pith.
47.	0801	Coconuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled
48.	0801	Brazil nuts, fresh, whether or not shelled or peeled
49.	0802	Other nuts, Other nuts, fresh such as Almonds, Hazelnuts or filberts (Coryius spp.), walnuts, Chestnuts (Castanea spp.), Pistachios, Macadamia nuts, Kola nuts (Cola spp.), Areca nuts, fresh, whether or not shelled or peeled

Sl. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
50.	0803	Bananas, including plantains, fresh or dried
51.	0804	Dates, figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens, fresh.
52.	0805	Citrus fruit, such as Oranges, Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and similar citrus hybrids, Grapefruit, including pomelos, Lemons (Citrus limon, Citrus limonum) and limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresh.
53.	0806	Grapes, fresh
54.	0807	Melons (including watermelons) and papaws (papayas), fresh.
55.	0808	Apples, pears and quinces, fresh.
56.	0809	Apricots, cherries, peaches (including nectarines), plums and sloes, fresh.
57.	0810	Other fruit such as strawberries, raspberries, blackberries, mulberries and loganberries, black, white or red currants and gooseberries, cranberries, bilberries and other fruits of the genus vaccinium, Kiwi fruit, Durians, Persimmons, Pomegranates, Tamarind, Sapota (chico), Custard-apple (ata), Bore, Lichi, fresh.
58.	0814	Peel of citrus fruit or melons (including watermelons), fresh.
59.	9	All goods of seed quality
60.	0901	Coffee beans, not roasted
61.	0902	Unprocessed green leaves of tea
62.	0909	Seeds of anise, badian, fennel, coriander, cumin or caraway; juniper berries [of seed quality]
63.	0910 11 10	Fresh ginger, other than in processed form
64.	0910 30 10	Fresh turmeric, other than in processed form
65.	1001	Wheat and meslin [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name]
66.	1002	Rye [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name]
67.	1003	Barley [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name]
68.	1004	Oats [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name]
69.	1005	Maize (corn) [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name]
70.	1006	Rice [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name]
71.	1007	Grain sorghum [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name]
72.	1008	Buckwheat, millet and canary seed; other cereals such as Jawar, Bajra, Ragi] [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name]
73.	1101	Wheat or meslin flour [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name].
74.	1102	Cereal flours other than of wheat or meslin, [maize (corn) flour, Rye flour, etc.] [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name]
75.	1103	Cereal groats, meal and pellets [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name]
76.	1104	Cereal grains hulled
77.	1105	Flour, of potatoes [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name]
78.	1106	Flour, of the dried leguminous vegetables of heading 0713 (pulses) [other than guar meal 1106 10 10 and guar gum refined split 1106 10 90], of sago or of roots or tubers of heading 0714 or of the products of Chapter 8 i.e. of tamarind, of singoda, mango flour, etc. [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name]
79.	12	All goods of seed quality
80.	1201	Soya beans, whether or not broken, of seed quality.

Sl. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
81.	1202	Ground-nuts, not roasted or otherwise cooked, whether or not shelled or broken, of seed quality.
82.	1204	Linseed, whether or not broken, of seed quality.
83.	1205	Rape or colza seeds, whether or not broken, of seed quality.
84.	1206	Sunflower seeds, whether or not broken, of seed quality.
85.	1207	Other oil seeds and oleaginous fruits (i.e. Palm nuts and kernels, cotton seeds, Castor oil seeds, Sesamum seeds, Mustard seeds, Saffower (Carthamus tinctorius) seeds, Melon seeds, Poppy seeds, Ajams, Mango kernel, Niger seed, Kokam) whether or not broken, of seed quality.
86.	1209	Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing.
87.	1210	Hop cones, fresh.
88.	1211	Plants and parts of plants (including seeds and fruits), of a kind used primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purpose, fresh or chilled.
89.	1212	Locust beans, seaweeds and other algae, sugar beet and sugar cane, fresh or chilled.
90.	1213	Cereal straw and husks, unprepared, whether or not chopped, ground, pressed or in the form of pellets
91.	1214	Swedes, mangolds, fodder roots, hay, lucerne (alfalfa), clover, sainfoin, forage kale, lupines, vetches and similar forage products, whether or not in the form of pellets.
92.	1301	Lac and Shellac
93.	1404 90 40	Betel leaves
94.	1701 or 1702	Jaggery of all types including Cane Jaggery (gur) and Palmyra Jaggery
95.	1904	Puffed rice, commonly known as Muri, flattened or beaten rice, commonly known as Chira, parched rice, commonly known as khoi, parched paddy or rice coated with sugar or gur, commonly known as Murki
96.	1905	Pappad, by whatever name it is known, except when served for consumption
97.	1905	Bread (branded or otherwise), except when served for consumption and pizza bread
98.	2106	Prasadam supplied by religious places like temples, mosques, churches, gurudwaras, dargahs, etc.
99.	2201	Water [other than aerated, mineral, purified, distilled, medicinal, ionic, battery, de-mineralized and water sold in sealed container]
100.	2201	Non-alcoholic Toddy, Neera including date and palm neera
101.	2202 90 90	Tender coconut water other than put up in unit container and bearing a registered brand name
102.	2302, 2304, 2305, 2306, 2308, 2309	Aquatic feed including shrimp feed and prawn feed, poultry feed & cattle feed, including grass, hay & straw, supplement & husk of pulses, concentrates & additives, wheat bran & de-oiled cake
103.	2501	Salt, all types
104.	2716 00 00	Electrical energy
105.	2835	Dicalcium phosphate (DCP) of animal feed grade conforming to IS specification No.5470 : 2002
106.	3002	Human Blood and its components
107.	3006	All types of contraceptives
108.	3101	All goods and organic manure [other than put up in unit containers and bearing a registered brand name]
109.	3304	Kajal [other than kajal pencil sticks], Kumkum, Bindi, Sindur, Alta
110.	3825	Municipal waste, sewage sludge, clinical waste
111.	3926	Plastic bangles

Sl. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
112.	4014	Condoms and contraceptives
113.	4401	Firewood or fuel wood
114.	4402	Wood charcoal (including shell or nut charcoal), whether or not agglomerated
115.	4802 / 4907	Judicial, Non-judicial stamp papers, Court fee stamps when sold by the Government Treasuries or Vendors authorized by the Government
116.	4817 / 4907	Postal items, like envelope, Post card etc., sold by Government
117.	48 / 4907	Rupee notes when sold to the Reserve Bank of India
118.	4907	Cheques, lose or in book form
119.	4901	Printed books, including Braille books
120.	4902	Newspapers, journals and periodicals, whether or not illustrated or containing advertising material
121.	4903	Children's picture, drawing or colouring books
122.	4905	Maps and hydrographic or similar charts of all kinds, including atlases, wall maps, topographical plans and globes, printed
123.	5001	Silkworm laying, cocoon
124.	5002	Raw silk
125.	5003	Silk waste
126.	5101	Wool, not carded or combed
127.	5102	Fine or coarse animal hair, not carded or combed
128.	5103	Waste of wool or of fine or coarse animal hair
129.	52	Gandhi Topi
130.	52	Khadi yarn
131.	5303	Jute fibres, raw or processed but not spun
132.	5305	Coconut, coir fibre
133.	63	Indian National Flag
134.	6703	Human hair, dressed, thinned, bleached or otherwise worked
135.	6912 00 40	Earthen pot and clay lamps
136.	7018	Glass bangles (except those made from precious metals)
137.	8201	Agricultural implements manually operated or animal driven i.e. Hand tools, such as spades, shovels, mattocks, picks, hoes, forks and rakes; axes, bill hooks and similar hewing tools; secateurs and pruners of any kind; scythes, sickles, hay knives, hedge shears, timber wedges and other tools of a kind used in agriculture, horticulture or forestry.
138.	8445	Amber charkha
139.	8446	Handloom [weaving machinery]
140.	8802 60 00	Spacecraft (including satellites) and suborbital and spacecraft launch vehicles
141.	8803	Parts of goods of heading 8801
142.	9021	Hearing aids
143.	92	Indigenous handmade musical instruments
144.	9603	Muddhas made of sarkanda and phool bahari jhadoo
145.	9609	Slate pencils and chalk sticks
146.	9610 00 00	Slates
147.	9803	Passenger baggage
148.	Any chapter	Puja samagri namely,- (i) Rudraksha, rudraksha mala, tulsi kanthi mala, panchgavya (mixture of cowdung, desi ghee, milk and curd); (ii) Sacred thread (commonly known as yagnopavit);

Sl. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
		(iii) Wooden khadau; (iv) Panchamrit, (v) Vibhuti sold by religious institutions, (vi) Unbranded honey [proposed GST Nil] (vii) Wick for diya. (viii) Roli (ix) Kalava (Raksha sutra) (x) Chandan tika
149.	-	Supply of lottery by any person other than State Government, Union Territory or Local authority subject to the condition that the supply of such lottery has suffered appropriate central tax, State tax, Union territory tax or integrated tax, as the case may be, when supplied by State Government, Union Territory or local authority, as the case may be, to the lottery distributor or selling agent appointed by the State Government, Union Territory or local authority, as the case may be.

Explanation.- For the purposes of this Schedule,-

(i) The phrase "unit container" means a package, whether large or small (for example, tin, can, box, jar, bottle, bag, or carton, drum, barrel, or canister) designed to hold a pre-determined quantity or number, which is indicated on such package.

(ii) The phrase "registered brand name" means brand name or trade name, that is to say, a name or a mark, such as symbol, monogram, label, signature or invented word or writing which is used in relation to such specified goods for the purpose of indicating, or so as to indicate a connection in the course of trade between such specified goods and some person using such name or mark with or without any indication of the identity of that person, and which is registered under the Trade Marks Act, 1999.

(iii) "Tariff item", "sub-heading" "heading" and "Chapter" shall mean respectively a tariff item, heading, sub-heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

(iv) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975, including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

[F. No. 354/117/2017-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

सं. 3/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 712 (अ).—केंद्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक